

नम्बर व
अहकाम जो
दुकम की लान
में जारी हुए

न्यायालय

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 25/18 तारीक रजु 10/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का महवा बनाम
श्री शेरसिंह पुत्र हनुमन्दा जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

निर्णय:-

दिनांक:- 12/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री शेरसिंह ने ग्राम महवा को भूमि ख.न 761 रकबा 0.02 किस्म गीं मुरासा फसल सरसो रबि/खरीफ संवत 2014 में सरसो कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (b) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न 761 रकबा 0.02 किस्म गीं मुरासा वाके ग्राम महवा से बेदखल किया किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.32 का 50 गुणा 16 रु शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल सरसो को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~खरीफ~~/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पंज नं० 14 पर
वर्ष 2017-18 में पालना/कलन नीलामी
की राशि तादारी रुपये 16 रु 00 पैसे